न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(गौरव अग्रवाल,आई०ए०एस०द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 88 / 2019

प्रविष्टि दिनांक 11-12-2019

1-घनश्याम पुत्र सूरजमल जाति रेगर निवासी ग्राम धारा तहसील टोंक जिला टोंक राज०
2-प्रभू पुत्र सूरजमल जाति रेगर निवासी ग्राम धारा तहसील टोंक जिला टोंक राज०
3-राजूलाल पुत्र सूरजमल जाति रेगर निवासी ग्राम धारा तहसील टोंक जिला टोंक राज०

---अपीलाण्ट्स

बनाम

तहसीलदार टोंक जिला- टोंक

--रेस्पोडण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध निर्णय तहसीलदार टोंक दिनांक 15-10-2019

उपस्थिति :(1) श्री पवन कुमार जैन अभिभषक अपीलान्ट्स
(2) श्री जुगनू शर्मा,राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

निर्णय

दिनांक 15-3-2021

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार तह० टोंक ने अपने निर्णय दिनांक 15-10-2019 के द्वारा अपीलान्ट्स को राजकीय भूमि खसरा नम्बर 701/1 रकबा 0.10 बीघा किस्म गैर मुमकिन शमशान वाके ग्राम धारा पर अतिक्रमण मानकर भूमि से बेदखल करने पेनल्टी कायम कर 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने का आदेश दिया है। अपीलान्ट्स ने तहसीलदार टोंक के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट्स एंव राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट्स ने दोराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट्स को तहसीलदार टोंक द्वारा निर्णय से पूर्व नोटिस नहीं दिया है और नोटिस पर अपीलान्ट्स की विधिवत् व्यक्तिशः तामिल नही हुई है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट्स को बिना सुने व बिना साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान किये बिना एक पक्षीय [illegible] की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व मौके [illegible] रिपोर्ट नहीं मंगवाई है। अधीनस्थ न्यायालय के [illegible] प्रमाणित होता है कि अपीलान्ट्स ने [illegible] अतिक्रमण किया है। [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2021.04.06 11:16:04 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

न्यायालय के समक्ष पूर्व में बेदखली बाबत कोई दस्तावेज या निर्णय पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत कर प्रदर्शित नहीं करवाया गया है। जिससे निर्णय विधि विरूद्व है और निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलाण्ट्स को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णण की जानकारी सर्वप्रथम10–12–2019 को प्राप्त हुई, जिस पर अपीलान्ट्स ने निर्णय की नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन दिनांक 10–12–2019 को पेश कर नकल प्राप्त कर जानकारी से अन्दर मियाद अपील पेश कर रहा है। अपील पेश करने में जानबूझ कर कोई देरी नहीं की है, जो देरी हुई है, जो न्यायहित मे क्षमा किये जाने योग्य है, देरी को क्षमा किये जाने हेतु पृथक से धारा–5 भारतीय परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश कर रहा है।

अपीलान्ट्स के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 701/1 रकबा 0.10 बीघा गैर मुमकिन शमशान की भूमि है उस पर अपीलान्ट्स ने मूंग की काश्त कर अतिक्रमण किया है। इस भूमि पर अपीलान्ट्स ने पहले भी अतिक्रमण किया था और अब पुनः अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स को विवादित भूमि से पूर्व में भी पत्रावली सं0 38/2018 से बेदखल किया गया था एंव पुनः पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना माना गया है। अपीलान्ट्स सार्वजनिक उपयोग की राजकीय गैर मुमकिन शमशान की भूमि पर बार–बार अतिक्रमण करने का आदी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलान्ट्स को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया है अपीलान्ट्स को जारी नोटिस पर विधिवत तामील हुई है किन्तु अपीलान्ट्स न्यायालय में उपस्थित नही हुए है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अतः अपील अपीलान्टस खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट्स एव राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 701/1 रकबा 0.10 बीघा गैर मुमकिन शमशान की भूमि है उस पर अपीलान्ट्स ने मूंग की काश्त कर अतिक्रमण किया है। इस भूमि पर अपीलान्ट्स ने पहले भी अतिक्रमण किया था और अब पुनः अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स को विवादित भूमि से पूर्व में भी पत्रावली सं0 38/2018 से बेदखल किया गया था एंव पुनः पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना माना गया है। अपीलान्ट्स सार्वजनिक उपयोग की राजकीय गैर मुमकिन शमशान की भूमि पर बार–बार अतिक्रमण करने के आदी है। अपीलान्ट्स को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। अपीलाण्ट्स की विधिवत रूप से तामील हुइ है। अपीलाण्टस को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर दिया गया था किन्तु वह अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नही हुए है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट्स अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार टोंक का निर्णय दिनांक 15–10–2019 यथावत रखा जाता है। स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 15–3–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गौरव अग्रवाल)
जिला कलेक्टर टोंक
जिला कलेक्टर
टोंक

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2021.04.06 11:16:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner